22

संख्या– 1763/XXVIII–5–2016–86/2015

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 **देहरादूनः** **दिनांकः 1 फरवरी, 2016**

विषय–वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1336/XXVII (1)/2015 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में **₹66.18** लाख तथा आयोजनेत्तर मदों में **₹1650.50** लाख अर्थात कुल **₹1716.68 लाख (₹ सतरह करोड़ सोलह लाख अडसठ हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है। बजट नियन्त्रक अधिकारी द्वारा वास्तविकता/व्यय का आंकलन करते हुए एवं यथास्थिति मूल बजट के धनराशि कम पडने की दशा में ही इन मदों की धनराशियां आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन में शासनादेश दिनांक 01.04.2015 में इंगित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत रखी जायें।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के सुसंगत शासनादेशों का कडाई से पालन किया जाय।
4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7. भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1336/XXVII (1)/2015 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

संलग्न : ऑन लाईन एलॉटमेन्ट आई.डी.S1602120005

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–1763 (1)/XXVIII–5–2016–86/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
6. चिकित्सा अनुभाग–4
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव